Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजूराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी रीडी तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम जमनाप्रसाद वगै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर/63/2023 **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
22.12.2023	आज यह प्रार्थना पत्र राजूराम ने जरिये श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 295 तादादी 11.71 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में आगामी सुनवाई तिथि तक प्रार्थी के हिस्से के खातेदारी रकबा कब्जा–काश्त में दखलंदाजी नहीं करें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 29.01.2024 को आकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 29.01.2024 को पेश हों । [signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
09.01.2024	आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता द्वारा मिसल पेशी में लेने का प्रार्थना पत्र पेश कर भूल वश जो मिस्ट्री करने पर पेशी में भूल वश जो मिस्ट्री की गई। वादी द्वारा भूल वश जो मिस्ट्री [illegible] किया जा चुका है, प्रार्थना [illegible] प्रार्थना को निरस्त नहीं [illegible] जाता है। पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] पत्रावली वादी तलब [illegible] है। [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	[illegible] o.p. Mohanlal Adv

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary

Date: 2024.02.12 15:34:38 IST

Reason: SelfAttested